न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 40/2017

अपीलांट

गिरधारी पुत्र लछाराम उम्र 48 साल जाति पुरोहित निवासी रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. जबरा पुत्र लछाराम
2. रतना पुत्र लछाराम
3. झमका बेवा लछाराम जातियान पुरोहित निवासीगण रोपसी
4. हरीश चौधरी पुत्र जीवाराम जाति कलबी निवासी रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर।
5. अमृतादेवी पत्नी दुर्गाराम जाति पुरोहित निवासी सिरोला की ढाणी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।
6. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
7. उप पंजीयक रानीवाडा
8. हल्का पटवारी पटवार हल्का रानीवाडा जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट।

रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15.07.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 7/17 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण बावजूद तामिल उपस्थित आने से उनके विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर के वर्तमान खाता संख्या 621, 622, 623, 675, 1002 2414, 2415 के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट का उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा खातेदारी हक की घोषणा का प्रस्तुत किया। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 अजनबी खरीददार होने का कथन करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2017 को स्थगन प्रार्थना पर बहस सुनते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया। तत्पश्चात दिनांक 12.09.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा नहीं हुआ है एवं उक्त आराजी के बंटवाडे का वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम में यह बिन्दु दर्शाया गया कि वादग्रस्त आराजी का भौतिक रूप से विभाजन हो चुका है एवं उसके द्वारा जो हिस्सा खरीद किया है उक्त हिस्सा विशेष खरीद किया गया था। किन्तु उसके हक में निष्पादित हुए दस्तावेज में कही पर भी वादग्रस्त आराजी के विभाजन होने का तथ्य अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया। नियमानुसार अपीलांट को काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब दिये जाने हेतु अवसर दिया जाना आवश्यक था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई अवसर दिये बिना अपीलांट के जवाब को बंद करने का कोई हवाला दिये एकतरफा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर के वर्तमान खाता संख्या 621, 622, 623, 675, 1002 2414, 2415 के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट का उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा खातेदारी हक की घोषणा का प्रस्तुत किया। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 अजनबी खरीददार होने का कथन करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2017 को स्थगन प्रार्थना पर बहस सुनते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

का आदेश पारित किया। तत्पश्चात दिनांक 12.09.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवाडे का दावा विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी पर हक हिस्से का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 04 व 05 राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण पर दौराने वाद वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करते है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को ध्यान मे न रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 7/17 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2017 अपास्त किया जाता है। उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी पर मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर